संख्याबल का कानून

संसद का 18-दिवसीय शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इसने भारत के संसदीय लोकतंत्र को एक नये निचलेपन तक पहुंचते देखा, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से बातचीत करने से इनकार किया, अपनी कार्यपालिकीय जवाबदेही ताक पर रखी और देश के लिए दूरगामी असर रखने वाले कई विधेयकों को पारित कर डाला। इस दौरान विपक्षी सांसदों का बड़ा हिस्सा निलंबित रहा। अंतिम रूप से सामने आयी गिनती में, विपक्ष के कुल 146 सांसद निलंबित थे (राज्यसभा के 46 और लोकसभा के 100), क्योंकि उन्होंने सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के लिए आवाज बुलंद की। यह मुद्दा 13 दिसंबर को लोकसभा के सदन में प्रदर्शनकारियों के प्रवेश हासिल करने से जुड़ा था। टकराव अब भी कायम है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर विपक्षी सांसदों के निलंबन को सरकार द्वारा 'पूर्व-निर्धारित और पूर्व-. नियोजित'करार दिया है। खड़गे ने लिखा है कि दिमाग का कोई इस्तेमाल न किया जाना साफ दिख रहा था, निलंबित लोगों में एक ऐसा सांसद भी था जो लोकसभा में मौजूद तक नहीं था। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी सत्र का सुचारु संचालन सुनिश्चित नहीं कर सके। धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गयी कोशिशों में निष्पक्षता की आवश्यक झलक का अभाव था।

सरकार ने देश की फौजदारी संहिता, दूरसंचार के नियमन और भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति का पुनर्लेखन करने वाले नये कानूनों को ज्यादातर विपक्षी सदस्यों की गैरहाजिरी में पारित कराया। इन कानूनों की साझा खासियत कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि है, और यह कोई संयोग नहीं कि इन्हें बगैर किसी सार्थक संसदीय बहस के, जो वि. रोधी विचारों को आत्मसात करती, पारित किया गया। सरकार ने सुरक्षा में सेंध पर विपक्ष द्वारा बयान की मांग तक को ठुकरा दिया। यह दुराग्रह का प्रदर्शन था जो संख्यात्मक बहुमत को तार्किक और नैतिक रूप

शीतकालीन सत्र: प्रमुख तथ्य

- 4 दिसंबर, 2023 को आरंभ हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में 18 दिनों की अवधि में 14 बैठकें हुई।
- सत्र के दौरान 12 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए और 18 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए तथा 17 विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किए गए।
- तीन विधेयक लोकसभा की अनुमति से वापस लिये गये, जबकि एक विधेयक राज्यसभा की अनुमति से वापस लिया गया।
- सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 19 है।
- पीड़ित-केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयक, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
- इन सभी विधेयकों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ले ली है।
- लोकसभा की उत्पादकता लगभग 74 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 79 प्रतिशत थी।
- सत्र में पेश किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया।
- लगभग 20% सांसदों को निलंबित किया गया जो कि रिकॉर्ड है।
- इस सत्र में आचरण समिति की अनुशंसा पर एक लोकसभा सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया।

से गलत न हो सकने की योग्यता के बराबर मानता है। सरकार ने निलंबन की नौबत लाने के लिए विपक्ष को ही दोषी बताया है, और यही बात लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने दोहरायी है। एक विपक्षी सांसद द्वारा धनखड़ की कथित मिमिक्री का मामला मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला था, जो सत्तारूढ़ दल के लिए सुविधाजनक था। धनखड़ ने राज्यसभा से खुद कहा कि कथित मिमिक्री उनकी बि. रादरी का अपमान है। उनके जैसे कानूनी विशेषज्ञ की तो बात छोड़िए, किसी के भी द्वारा इन दोनों बातों को आपस में जोड़ना परेशान करने वाला है। यह अलग बात है कि क्या विपक्ष को कुछ गुमराह नौजवानों द्वारा सुरक्षा उल्लंघन किये जाने पर बहस की मांग में इतना समय और प्रयास लगाना चाहिए था। इसका कुल जमा नतीजा, भले यह मकसद न हो, संसदीय कामकाज को पटरी से उतारा जाना और कार्यपालिका के लिए खुली छूट हासिल करना रहा।

लोकसभा से पारित प्रमुख विधेयक:

- अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
- डाकघर विधेयक, 2023
- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
- दूरसंचार विधेयक, 2023
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्याकाल की अवधि) विधेयक, 2023

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : लोकसभा के हालिया शीतकालीन सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस सत्र में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया।
2. इस सत्र में रिकॉर्ड 146 सांसदों को निलंबित किया गया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the recent winter session of the Lok Sabha:

1. A case of security lapse came to light in this session.
2. A record 146 MPs were suspended in this session.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: 17वीं लोकसभा की कम उत्पादकता के क्या कारण हैं? इसकी कम उत्पादकता के क्या निहितार्थ हैं और यह देश की प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकता है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में 17वीं लोकसभा की कम उत्पादकता के कारणों और इसके निहितार्थों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में लोकसभा की कम उत्पादकता से लोकतांत्रिक संस्थानों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।